अस्पतालों, कर्मचारी कैंटीनों, विश्राम कक्षों, आदि जैसी संस्थापनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद, शेष बचे सिंडर को "न लाभ न हानि" के आधार पर आंकी गयी मामूली दरों पर रेल कर्मचारियों को बेच दिया जाता है।

सिंडर उन लोको शेडों/स्टेशनों यार्डों में बेचा जाता है जहां इनकी छंटाई की जाती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान रेलों द्वारा बेचे गये सिंडर का मूल्य जोन-वार नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

रेलवे	बेचे गये सिंडर का मूल्य 1982-83	1983-84	1984-85
मध्य	11.54	15.64	15.91
पूर्व	0.92	0.88	0.82
उत्तर	18.83	18.67	17.15
पूर्वोत्तर	6.39	7.22	6.94
पूर्वोत्तर सीमा	0.39	1.30	0.35
दक्षिण	0.78	0.67	0.60
दक्षिण मध्य	3.71	4.32	3.26
दक्षिण पूर्व	3.30	4.23	4.71
पश्चिम	6.05	12.60	12.98

रेलवे द्वारा स्क्रैप की बिक्री

2431. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :**
श्री भगवती प्रसाद यादव :

क्या परिवहन मंत्री 20 नवम्बर, 1985 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 392 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेची गयी स्क्रैप की सबसे अधिक कीमत देने वाले के टेंडर अस्वीकृत कर देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे लोगों को माल की बिक्री की गयी जिन्होंने आयकर और बिक्री कर विभागों से "अनापत्ति नहीं" प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच करने और दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का विचार रखती है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) स्क्रैप सामग्री (i) सार्वजनिक टेंडर (ii) सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाती है। टेंडर द्वारा बिक्री के मामले में सबसे अधिक बोली देने वाले टेंडरदाता का टेंडर रद्द किये जाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :—

(1) यदि कोई टेंडरदाता टेंडर शर्तों में उल्लिखित अपेक्षित अग्रिम धनराशि जमा नहीं कराता है तो उसका टेंडर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(2) यदि टेंडरदाता ने अंतरण पत्र/कार्य निष्पादन अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है तो उसका टेंडर स्वीकार नहीं किया जाता है।

(3) यदि टेंडरदाता ने टेंडर की शर्तें स्वीकार न की हों और प्रत्युत्तर में अपनी स्वयं की शर्तों का उल्लेख किया हो, तो उसका टेंडर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(4) विलम्ब से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नीलामी द्वारा बिक्री के मामले में सबसे अधिक बोली देने वाले बोलीदाता की बोली सामान्यतः रद्द नहीं की जाती है बशर्ते वह स्वीकार्य सुरक्षित मूल्य से कम न हो।

(ख) नीलामी द्वारा बिक्री अथवा टेंडर बिक्री के मामले में बोलीदाताओं का बिक्री-कर विभाग से पंजीकरण होना पूर्वापेक्षित नहीं है। बोलीदाताओं को बेची गई सामग्री के लिए उनसे देय बिक्री-कर इकट्ठा कर लिया जाता है तथा राशि सम्बद्ध राज्य के बिक्री क

प्राधिकारी को भेज दी जाती है। नीलामी द्वारा की जाने वाली बिक्री में भाग लेने के लिए आयकर का बेबाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना पूर्वापेक्षित नहीं है तथापि टेंडर द्वारा की जाने वाली बिक्री के मामले में सफल टेंडरदाता से आयकर का बेबाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय मलेरिया योजना के अन्तर्गत गुजरात को सहायता

2432. **श्री भिर्जा इर्शादबेग :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार की ओर से केन्द्रीय मलेरिया योजना के अंतर्गत सहायता के लिए विशेष मांग की गई है ; यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ख) क्या मेलाथियान की खरीद के लिए गुजरात को अतिरिक्त धन-राशि अभी दी जानी है; यदि हां, तो इसके क्या कारण है और यह धन-राशि कब तक दे दिये जाने की सम्भावना है;

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एक केन्द्र प्रायोजित वर्ग-2 योजना है जिसका खर्च 50.50 के हिस्से के आधार पर किया जाता है और 1983-84 और 1984-85 के दौरान मेलाथियन के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई है। खर्च के वर्तमान पैटर्न के अनुसार गुजरात राज्य को जो सामग्री प्राप्त और रिलीज करनी थी वह समस्त सामग्री पिछले सालों में दे दी गई है और अग्रिम पूर्तियां भी की जा रही हैं।

वर्ष 1983-84 के दौरान गुजरात राज्य को 104.70 लाख रुपये के मूल्य की 25 प्रतिशत डब्ल्यू०डी०पी० मेलाथियन और 500.00 लाख रुपये की नकद सहायता दी गई थी। वर्ष 1984-85 के दौरान इस राज्य को 25 प्रतिशत डब्ल्यू०डी०पी० मेलाथियन की खरीद के लिए 809.09 लाख रुपये की नकद सहायता दी गई है।

Public Grievance Redressal System

2433. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any provision of *public grievance redressal system* under his Ministry;

(b) if so, what is the *modus operandi* of attending to public grievances and which particular officer or unit is responsible for it;

(c) the number of grievances disposed of during the last three years till October, 1985;

(d) whether there is any system for intimating the aggrieved persons about the action taken by the authorities; and

(e) if so, what are the details of the scheme?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE (SHRI KRISHNA-KUMAR): (a) to (e) Arrangements exist for redressal of public grievances in this Ministry, Directorate General of Health Services, Hospitals and Institutions. The same have been recently strenghened. An officer has been designated as Director (Grievance) in the Ministry. Director General of Health Services has been designated as the Chief Commissioner for Grievances and a Grievances Redressal Committee with the Director General of Health Services as Chairman has been set up to look into the complaints pertaining to Central Governments Hospitals in Delhi functioning under Directorate General of